मुकदमा संख्या 40/2024
अनवानः— अन्तर कंवर बनाम जबरदान
निर्णय तारीखः— 24.06.2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही अज इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए।
24.06.2025	प्रार्थीयागण अधिवक्ता द्वारा बहस में निवेदन किया कि मौजा भुवाना पटवार हल्का सरवाणा तह.—सांचौर के खेत खसरा संख्या 149 रकबा 2.50 हैक्टेयर, खसरा संख्या 155 रकबा 2.87 हैक्टेयर, खसरा संख्या 249 रकबा 1.83 हैक्टेयर, खसरा संख्या 379 रकबा 0.65 हैक्टेयर, खसरा संख्या 421 रकबा 1.77 हैक्टेयर जुमले रकबा 9.62 हैक्टेयर, मुझ प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण संख्या 1 से 5 का संयुक्त परिवार की पैतृक पुश्तैनी आराजी संयुक्त रूप से आई हुई है जिसकी प्रथम मिसल बन्दोबस्त में प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 1 ता 5 के ससुर / दादा / पिता स्व. सोहनदान के नाम से दर्जसुदा आई हुई है। स्व. साहनदान के फौत होने पर उक्त भूमि उनके उताराधिकारी के नाम नामांतकरण संख्या 239 दिनांक 05.09.2016 को विरासत का नामांतकरण भरा गया। जिसमें स्व. सोहनदान, नें अपने तीनों पुत्रों को संवत 2060 में समान रूप से मौके पर अपनें जीते जी काल बंटवाडा कर अलग अलग कर कब्जाकाश्त सुपुर्द कर दिया था जो बदस्तुर है। प्रार्थीगण के दादी / सासु पवनकंवर, जबरदान के साथ रहती थी। जबरदान ने पवनकंवर को बिना जानकारी के पवनकंवर के हिस्से की 1/4 आराजी अपने अकेले के नाम विधि विरूद्ध रूप से हकतर्क करवा ली। जो आराजी भूमि स्व. पवनकवर को स्व. सोहनदान के विरासत से मिली थी। मौजा भुवाना में स्थित प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी पैतृक पारिवारिक उपरोक्त खसरा नम्बरान आराजी का संवत 2060 में एक मौखिक बंटवाडा स्व. सोहनदान ने अपने जीते जी काल में अपने तीनों पुत्रों में अपनी सम्पूर्ण भूमि को बांट कर 1/3—1/3 हिस्से में भूमि का बंटवाडा कर दिया, तीनों पुत्रों को अपने अपने हिस्से अलग अलग कब्जा काश्त सूपूर्द कर दिया जो बदस्तुर है। उपरोक्त आराजी नर्मदा कमाण्ड एरिया में आ जाने से जमीन का भाव अत्यधिक बढ जाने से अप्रार्थी संख्या 1 के नियत में खोट पैदा हो जाने से तथा अपने साथ रह रही दादी स्व. पवनकवर से विधि विरूद्ध पवनकवर के हिस्से की भूमि का हकतर्क पंजिबंद्ध करवा कर हम प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 2 ता 5 को अपने हिस्से से वंचित कर दिया। जबकि उपरोक्त भूमि पुश्तैनी है जो स्व. सोहनदान को अपने पिता से विरासत में मिली तथा सोहनदान से हम प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण 1 ता 5 अपने हिस्से पर काबिज है। तथा आज से पांच रोज पुर्व अप्रार्थी संख्या 1 को बयान करने को कहां तो इन्कार कर दिया। प्रार्थीगण का लगातार शांतिं पुर्वक बैरोकटोक प्रार्थीगण के हिस्से की आराजी होने से यदि प्रार्थीगण को प्रार्थी के हिस्से व कब्जे काश्त की आराजी से जबरदस्ती बेदखल कर दिया गया तो प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होगी। [illegible] हम प्रार्थीगण के पुश्तैनी अधिकार खतरे में [illegible] अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाकर रोका [illegible] हित मे अति आवश्यक हैं। मूल वाद के अंतिम निस्तारण तक इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा बहक प्रार्थी विरूद्ध अप्रार्थीगण [illegible] दिर फरमावें। अप्रार्थी सं. के अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी अप्रार्थी संख्या 01 जबरदान की मालिकाना हक	

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.07.11 13:12:18 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

Scanned with OKEN Scanner

हकूक की सम्पति होने से मुझे बेचान करने का पूर्ण अधिकार है। मुझ अप्रार्थी जबरदान को अप्रार्थी संख्या 6 भगवतदान को बेचान करने का पूर्ण अधिकार होने से मुझ भगवतदान ने जरिये बेचान रजिस्ट्री के खरीद कर कब्जा पाने से उक्त आराजी मुझ खरीददार को मालिकाना हक हकूक प्राप्त होने से प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का संतुलन अप्रार्थी के पक्ष मे है। बादग्रस्थ आराजी जबरदान से भगवतदान ने विधिवत खरीद करने से खरीदसुदा भूमि में बेचान की तारीख से तमाम मालिकाना हक हकूक कब्जा खरीददार की हैसियत से मुझ भगवतदान को हो चुका है। जिससे खरीदसुदा कब्जासुदा मालिकाना हक हकूक की भूमि के अधिकारो से भगवतदान को रोका जाता है तो अप्रार्थी को अपूणीय क्षति होगी, जिसकी क्षतिपूर्ति रुपयो पैसो मे भी किया जाना कतई संभव नही होगा। इस प्रकार अप्रार्थी ने उक्त आराजी को प्रतिफल राशि अदा कर खरीद की है तथा कब्जा अप्रार्थी भगवतदान का होने से प्रार्थीगण ने गलत एवं मिथ्या तथ्यो के आधार पर वाद पेश करने एवं विधि द्वारा पोषणीय नहीं होने से उक्त प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है

मैंने उभय पक्षकारान अधिवक्ता के कथनों, संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया। अतः प्रथम दृष्टया प्रकरण ,सुविधा का संतुलन व अपूर्णिय क्षति का बिन्दु प्रार्थीयागण के पक्ष में होने से प्रार्थीयागण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

–:आदेश:–

अतः मूल वाद के निस्तारण तक इस आशय कि अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि मौजा भुवाना पटवार हल्का सरवाणा तह. –सांचौर के खेत खसरा संख्या 149 रकबा 2.50 हैक्टेयर, खसरा संख्या 155 रकबा 2.87 हैक्टेयर, खसरा संख्या 249 रकबा 1.83 हैक्टेयर, खसरा संख्या 379 रकबा 0.65 हैक्टेयर, खसरा संख्या 421 रकबा 1.77 हैक्टेयर जुमले रकबा 9.62 हैक्टेयर पर अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा [illegible] अमर जाहिर की जाती है कि अप्रार्थीगण राजस्व [illegible] के की यथास्थिति बनाए रखें। पत्राव[illegible] से कम हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.07.11 13:12:18 IST
Reason: SelfAttested

(प्रमोद कुमार)
सहायक कलक्टर सांचौर

Scanned with OKEN Scanner